GST Hindi Update on Extension of Import validity/ EO of Advance Authorisation/ DFIA

DGFT ने नोटिफिकेशन नंबर 57/2015-20 dated 31.03.2020 से Foreign Trade Policy को 31 मार्च 2021 तक के लिए extend कर दिया था। इसी नोटिफिकेशन के अंदर Advance Authorisation और DFIA के Import validity or export obligation के पीरियड को भी एक्सटेंशन मिला था।

अभी DGFT ने Circular no. 35/2015-20 dated 23.04.2020 issue किया है। इस सर्कुलर द्वारा DGFT ने Advnace Authorisation /DFIA में जो एक्सटेंशन मिला है उसका procedure दिया गया है और वो इस प्रकार है:-

1. यदि assessee को एक भी बार भी Export Obligation / Revalidation एक्सटेंशन नहीं दिया गया हो

ऐसे सभी मामलों में जहां Import Validity period और Export Obligation period में एक्सटेंशन पहली या दूसरी बार में एक्सपोर्टर द्वारा नहीं लिया गया है। इस संबंध में उस एक्सपोर्टर को यह 6 months का Extension मिल जायेगा। यह एक्सटेंशन उसे ICEGATE / Custom System पर Automatically दिखाई देगा।

ऐसे मामले में जहां यह Import Validity या Export Obligation एक्सटेंशन ICEGATE में उपलब्ध नहीं है या इस सम्बन्ध में कोई और समस्या आये तो इस स्थिति में निर्यातक ईमेल / पत्र के साथ DGFT की Regional Authority (RA) से संपर्क कर सकते हैं।

2. जहां आज तक Revalidation / EO अवधि में Extension दिया गया है।

उन Advance Authorisation के लिए जहां 1st या 2nd बार re -validation या Export Obligation का एक्सटेंशन Exporter को पहले से मिल चूका है उस स्थिति में यह एक्सटेंशन एक्सपोर्टर को ICEGATE / Custom System पर Automatically दिखाई नहीं देगा। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पोर्टल में इसका कोई प्रोसीजर नहीं दिया गया है। ऐसे मामलों में, निर्यातक को संबंधित RA को ईमेल / पत्र के माध्यम से एक amendment application लगानी होगी।

3. जहां Advance Authorisation (Non EDI) प्रकृति के हैं

ऐसे authorisation के लिए, जहां authorisation (Non -EDI) प्रकृति का है, निर्यातक को संबंधित RA को ईमेल / पत्र के माध्यम से एक amendment application लगानी होगी। Non-EDI authorisation का मतलब यह है कि इस authorisation में आयात किया गया माल Non-EDI port पर आएगा।

उपरोक्त प्रावधान DFIA authorisation पर भी लागू रहेंगे।

This is solely for educational purpose.

You can reach us at www.capradeepjain.com, at our facebook page on https://www.facebook.com/GSTTODAYBYPRADEEPJAIN/ as well as follow us on twitter at https://www.twitter.com/@capradeepjain21.